

1. महाविद्यालय / शिक्षण संस्थान का नाम	काशीपुर कालेज ऑफ एजुकेशन।			
2. महाविद्यालय / संस्थान का पूरा पता	निकट गुप्ता पावर, महुआखेड़ा गंज, काशीपुर, उत्तराखण्ड।			
3. महाविद्यालय / संस्थान की स्थापना का वर्ष	2012			
4. महाविद्यालय / संस्थान की वेबसाइट व ई-मेल	<b>Web site:- kashipurcollegeofeducation.com,</b> <b>Email. -kashipurcollegeofeducation@gmail.com</b>			
5. महाविद्यालय / संस्थान के दूरभाष (सम्पर्क व्यक्ति के नाम व मोबाइल नम्बर सहित)	05947.226164—कार्यालय, 9891974600 प्रैसीडेंट श्री विवेक गुप्ता			
6. यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा2 (f)/12(B) से आच्छादन की स्थिति	लागू नहीं।			
7. महाविद्यालय / संस्थान की प्रकृति (i) राजकीय (ii) अनुदानित (iii) निजी (iv) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	निजी।			
8. प्रस्तावक संस्था का नाम	श्री श्याम एजुकेशन सोसायटी, रेवाड़ी, हरियाणा।			
9. प्रस्तावक संस्था का पता व दूरभाष	शिव कालोनी, रेलवे स्टेशन, कोस्ली, रेवाड़ी, हरियाणा।			
10. प्रस्तावक संस्था की प्रकृति (i) सोसाईटी (ii) न्यास (iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) (प्रस्तावक संस्था की नियमावली की अद्यतन प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	सोसायटी			
11. महाविद्यालय / संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण	क्र० सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सम्बद्धता की वैधता अवधि	अद्यतन शैक्षणिक वर्ष (2019–20)में

			छात्र संख्या
	1.	बी0एड0	100 सीटें

पाठ्यक्रम के निर्धारित मानक, मानको की उपलब्धता

क्र0 सं0	आधारभूत मानको/ सुविधाओं का विवरण	सांविधिक/विनियामक निकाय/ विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारित मानक (इस कालम की पूर्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी)	पाठ्यक्रम के मानको की महाविद्यालय/संस्थान में उपलब्धता (इस कालम की पूर्ति प्रस्तावक संस्था द्वारा की जायेगी)	
-------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1.	<p><b>भूमि</b></p> <p>i. उपलब्ध भूमि का पूर्ण पता तथा माप (प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर सहित)</p> <p>ii. भूमि के स्वामी का नाम</p> <p>iii. भूमि के पंजिकरण का विवरण(भूमि की रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति संलग्न करें)</p> <p>iv. सम्वन्धित प्राधिकरण से भूमि के प्रस्तावित उपयोग की अनुमति का विवरण (पत्र की प्रति संलग्न करें)</p>	<p>एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु भूमि 3000 वर्ग मी0 होनी चाहिए।</p>	<p>काशीपुर कालेज ऑफ एजुकेशन ए युनिट ऑफ श्री श्याम एजुकेशन सोसायटी खसरा नं0-1185</p> <p>काशीपुर कालेज ऑफ एजुकेशन ए युनिट ऑफ श्री श्याम एजुकेशन सोसायटी। उपलब्ध है।</p> <p>अनुमति प्राप्त है।</p>	
2.	<p><b>भवन</b></p> <p>i. क्या भवन का निर्माण न्यास/सोसाइटी के स्वामित्व वाली भूमि पर किया गया है?</p> <p>ii. क्या महाविद्यालय लीज़/किराये के भवन पर संचालित है?</p> <p>iii. न्यास/सोसाइटी कब तक अपने भवन का निर्माण पूर्ण कर लेगी?</p> <p>iv. सक्षम प्राधिकरण द्वारा भवन</p>	<p>एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार 2000 वर्ग मी0 निर्मित होना चाहिए।</p>	<p>1- हाँ।</p> <p>2- नहीं।</p> <p>3- लागू नहीं।</p> <p>4- सक्षम प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत।</p>	

	मानचित्र की स्वीकृति का विवरण ( स्वीकृति मानचित्र की प्रति संलग्न करे )			
3.	<p><b>कक्षों का विवरण</b></p> <p><b>i. शैक्षणिक ब्लॉक:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. व्याख्यान कक्ष</li> <li>2. प्रयोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला कक्ष</li> <li>3. प्रयोगिक विषय हेतु भण्डार कक्ष</li> <li>4. पुस्तकालय</li> <li>5. विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 या अधिक पद सृजित होने की दशा में विभागिय कक्ष</li> <li>6. विभागाध्यक्ष/ स्टाफ कक्ष</li> </ol> <p><b>ii. प्रशासनिक ब्लॉक</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. प्राचार्य कक्ष</li> </ol>		<p>कक्षों की सं० क्षेत्रफल (वर्ग मी०)</p> <p>1- 04</p> <p>189.52</p> <p>2- 01</p> <p>94.87</p> <p>3- (प्रशासनिक ब्लॉक में अंकित है।</p> <p>4- 01</p> <p>92.90</p> <p>5- लागू नहीं।</p> <p>6- 01</p>	

	8. कार्यालय कक्ष		24.15	
	9. अभिलेखागार कक्ष			
	10. भण्डार कक्ष		7-	01
	11. परीक्षा कक्ष		24.15	
	12. प्रत्येक शिक्षणत्तर गतिविधि के लिए कक्ष		8-	01
			24.15	
iii.	अन्य कक्ष		9-	01
	13. बहुउद्देशीय हाल (सभा, संगोष्ठी, कार्याशाला व विविध कार्यक्रमों के लिए)		24.15	
	14. कामन रूम (छात्र)		10-	01
	15. कामन रूम (छात्रा)		24.15	
	16. प्रत्येक संकाय में शौचालय (छात्र/छात्रा हेतु पृथक)		11- लागू नहीं। 12- लागू नहीं।	
	17. छात्र संघ कक्ष		13-	01
	18. अन्य कक्ष		189.05	
			14-	01
			48.30	
			15-	01
			48.30	
			16-	02
			48.30	
			17- लागू नहीं।	
			18-	01
			48.30	